ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY,
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech. Approved by (AICTE)

संख्या :-6537 /प0नि0का0/भा0वि0वि0/2021
दिनांक : 07 ,जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञाप

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 02.01.2021 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 से चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था लागू है।

तदक्रम समस्त परीक्षार्थियों को सूचित करना है कि यदि वे अपने परीक्षाफल से संतुष्ट नही है तो वे चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु परीक्षाफल घोषित होने से तीस (30) दिनों के अन्दर आवेदन कर सकते है, अग्रतर चुनौती मूल्यांकन के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट **uafulucknow.ac.in** को देख सकते है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक।

प्रतिलिपि निम्नवत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी निदेशक को इस आशय के साथ प्रेषित की वे अपने स्तर से शीध्र सम्बंधित सूचना को विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. विश्वविद्यालय वेबसाईट।
6. सम्बंधित पत्रावली।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक।

चुनौती मूल्यांकन
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणो में होगाः–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा।
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा।

आवेदन अवधि–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को शुल्क 300/– प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबध में–

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क–

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रू0 2500/– प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया–

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्ही दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।

4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।
5. संबधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हे नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबध में–

1. दोनो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्ताकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/– में से रू0 1000/– की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।
4. मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबध में–
5. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
6. यदि ऐसे परीक्षक के 3 (तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के सम्बधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा परिश्रामिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 (पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ–साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।